प्रेस-विज्ञप्ति

प्रशासन के सराहनीय प्रयासों से मृत खलासी की पत्नी को मिला बीमा चेक

दीव सितम्बर 08, 2020 : दीव जिला प्रशासन एवं माननीया समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय के सराहनीय प्रयासों के चलते दीव के मृत खलासी वीरा कानजी बामणिया की पत्नी को आज बीमा राशि का चेक प्राप्त हुआ। यह चेक समाहर्ता महोदया ने बीमा कंपनी आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अपने कर-कमलों से मृतक की विधवा को प्रदान किया।

विदित हो कि दीव के वणाकबारा के वीरा कानजी बामणिया पोरबंदर की 'विवान' नामक फिशिंग वेसल में खलासी के तौर पर काम करते थे। दिनांक 01.09.2019 को मछली मारते समय वे अचानक समुद्र में गिर गये और लापता हो गये, उनकी लाश आज तक नहीं मिल पायी है। नियमानुसार किसी व्यक्ति के मर जाने की स्थिति में अगर उनके शव की प्राप्ति नहीं होती है तो सात वर्षों के अंतराल के बाद ही मृतक के परिजनों को बीमा राशि सौंपी जा सकती है। मगर इस मामले में मृत वीरा बामणिया के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दीव जिला समाहर्ता ने स्वयं इस मामले को गंभीरता से लिया और दीव जिला प्रशासन के श्रम एवं रोजगार कार्यालय ने पोरबंदर पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद पोरबंदर पुलिस की रिपोर्ट पर और मानवता के आधार पर उक्त बीमा कंपनी ने मृतक के परिजन को बीमा की राशि सौंपे जाने का निर्णय लिया।

आज इस बाबत दीव समाहर्ता ने अपने कार्यालय में मृतक की पत्नी श्रीमती काजल बामणिया को बीमा की राशि रू.8,31,920/- का चेक सौंपा ताकि मृतक के परिवार को गुजारे हेतु आर्थिक सहायत मिले। बीमा चेक प्राप्त करने के उपरांत श्रीमती काजल बामणिया ने दीव समाहर्ता, बीमा कंपनी और इससे जुड़े सभी संबंधितों की सराहना की और दिल से आभार व्यक्त किया।

हस्ता/-
जनसंपर्क अधिकारी
दीव